भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3746

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में स्टार्टअप इंडिया पहल

3746. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर की संख्या और लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में स्टार्टअप को संवितरित की गई निधि, प्रदान किए गए परामर्श और बाजार पहुंच का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू पेटेंट और विदेशी पेटेंटों के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान पेटेंट प्रतिपूर्ति से लाभान्वित हुई महिला स्टार्टअप की संख्या का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत 16 जनवरी, 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम का निर्माण करना है।

दिनांक 30 जून, 2026 तक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2,40,092 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में, डीपीआईआईटी द्वारा कुल 24,026 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कर्नाटक राज्य के ऐसे स्टार्टअप्स ने 30 जून, 2026 तक 2.58 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य में मान्यता प्राप्त

स्टार्टअप में से 11,400 से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी तीन प्रमुख स्कीमों को लागू कर रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय के विभिन्न चरणों में निधि के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

उद्यम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफएफएस की स्थापना की गई है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) -पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो उस पूंजी को आगे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 1,460 स्टार्टअप में 27,902.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में, इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने विगत पांच वर्षों अर्थात, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में 295 स्टार्टअप में 6,218.65 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। 30 जून, 2026 तक इस स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत निधि के साथ 219 इनक्यूबेटरों का चयन किया गया है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त इनक्यूबेटरों ने 706.33 करोड़ रुपए की स्वीकृत निधि से 4,245 स्टार्टअप का चयन किया है। 30 जून, 2026 तक कर्नाटक के 22 इनक्यूबेटरों को 104.48 करोड़ रुपए का वित्त पोषण अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा इस स्कीम के तहत इन्क्यूबेटरों ने पिछले पांच वर्षों, अर्थात 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में कर्नाटक राज्य से 89.37 करोड़ रुपए के अनुमोदित वित्त पोषण से 404 स्टार्टअप्स का चयन किया है।

पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण वित्तपोषण के जरिए स्टार्टअप्स के लिए ऋण पहुंच सक्षम करने के लिए सीजीएसएस को लागू किया गया है। सीजीएसएस को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है और इसे 01 अप्रैल, 2023 से संचालित किया गया है। स्कीम के तहत 30 जून, 2026 तक, स्टार्टअप उधारकर्ताओं के लिए

कुल 1,469.92 करोड़ रुपए की राशि के 478 ऋणों की गारंटी प्रदान की गई है। विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में, विगत तीन वर्षों अर्थात 2023, 2024 और 2025 में इस स्कीम के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं के लिए 96.52 करोड़ रुपए के 44 ऋणों की गारंटी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, सरकार कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में वित्त, मार्गदर्शन, अवसंरचना और बाजार तक पहुंच को सक्षम करने के लिए कई उपाय कर रही है। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने पेटेंट दायर करने और पेटेंट लागतों की प्रतिपूर्ति को सक्षम बनाने के लिए महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने हेतु कई उपाय किए हैं। प्रदान की गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:

i. महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित स्टार्टप्स पेटेंट दायर करने, प्रोसेसिंग और रखरखाव के लिए वैधानिक शुल्क पर 80% की रियायत के लिए पात्र हैं। यह रियायत दायर करने के समय वैधानिक शुल्क में अग्रिम कमी के रूप में प्रदान की जाती है और इसे प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से संवितरित नहीं किया जाता है। विगत पांच वर्षों अर्थात, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, और 2025-2026 के दौरान, कुल 4,110 स्टार्टअप पेटेंट आवेदन के लिए 80% शुल्क रियायत के लाभार्थी रहे हैं। कई स्टार्टअप्स ने एक से अधिक आवेदन दायर किए हैं। इसमें से, लगभग 1,590 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है। विगत पांच वर्षों के दौरान 80% पेटेंट आवेदन शुल्क रियायत प्राप्त करने वाले ऐसे स्टार्टअप जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है, की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

ii. स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) को सुगम बनाने के लिए इस स्कीम के तहत स्टार्टअप्स पेटेंट दायर करने और अभियोजन के लिए प्रो बोनो सुविधा के लिए भी पात्र हैं। इस स्कीम के तहत, सुविधा प्रदान करने संबंधी शुल्क सीधे स्टार्टअप को नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि, पैनल में शामिल सुविधा प्रदाताओं में से स्टार्टअप द्वारा चयनित पात्र

सुविधा प्रदाता को प्रतिपूर्ति की जाती है। यह प्रतिपूर्ति पेटेंट दायर करने के समय और इसके निपटान पर दो चरणों में की जाती है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, 30 जून, 2026 तक, डीपीआईआईटी द्वारा 2,40,092 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से, 1.15 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है।

अनुबंध-I

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3746 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कर्नाटक राज्य सहित देशभर में वित्त, मेंटरशिप, अवसंरचना और बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई योजना) और उचित दर वाली दुकान के स्वामियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं/इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है।

3. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारतीय युवाओं के बीच अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और सामुदायिक इनोवेटर फैलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) इन्क्यूबेशन सुविधाएं और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) एआईएम के तहत स्थापित किए गए हैं ताकि अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम के संबंध में देश में इन सेवाओं को न प्राप्त करने वाले/अल्प-सेवित क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत मेंटॉर इंडिया और महिला उद्यमी प्लेटफार्म जैसे कार्यक्रमों ने स्टार्टअप्स और आकांक्षी उद्यमियों को मेंटॉर से जोड़ा है।

4. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नवप्रयोग और शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

5. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसरों, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

6. रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग स्कीम (आईडीईएक्स) और आईडीईएक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति) रक्षा और एयरोस्पेस में स्टार्टअप को शामिल करके नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, डीएसटी, युवाओं के बीच नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवप्रयोग के विकास और उपभोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) को लागू कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फैलोशिप), निधिआईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) शामिल हैं। डीएसटी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए गए हैं।

8. अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-संचालित, समाधान-केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाईइम्पैक्ट एरियाज (महा) कार्यक्रम शुरू किया है।

9. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बायोनेस्ट (बायोइनक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग) और ई-युवा (नवप्रयोग के अनुसंधान कार्यों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और प्री-इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।

10. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडियाएआई मिशन जैसी पहलें कर रहा है।

11. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

(एसवीईपी) के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।

12. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम (आरकेवीवाई) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इन्क्यूबेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा देकर नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

13. सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न उपाय कर रही है। प्रमुख स्कीमों नामत: स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया निधियों का कोष 2.0, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) सहित समय-समय पर कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती है, जो गैर-मेट्रो और ग्रामीण स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहित स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनको सहायता प्रदान करती है जो हितधारकों के लिए नेटवर्क स्थापित करने और सहयोग बनाने हेतु एक जीवंत मंच के रूप में काम करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने की पहल भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और स्केलिंग अप में सहायता करती है। सरकार ने ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें व्यापार शुरू करने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है ताकि विनियामक वातावरण को सरल और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाया जा सके। मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार संपर्क में सहायता और इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

14. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए, सरकार ने भारत इनोवेट्स 2026 और वीवाटेक 2026 जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नवप्रयोग प्लेटफार्मों में स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुगम बनाया है। भारत-फ्रांस नवप्रयोग वर्ष के भाग के रूप में नीस, फ्रांस में

आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 ने भारतीय स्टार्टअप्स को नवप्रयोग को प्रदर्शित करने, 1,350 से अधिक बी2बी बैठकों में भाग लेने और वैश्विक भागीदारों के साथ 50 से अधिक सहयोग गठबंधन करने में सक्षम बनाया है, जिससे स्टार्टअप एक्सीलरेशन, अनुसंधान साझेदारी, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बाजार पहुंच के अवसर पैदा हुए हैं। इसी तरह, वीवाटेक 2026 में, जहां भारत ने 80 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप के अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ एआई कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया, भारतीय स्टार्टअप ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवप्रयोगों का प्रदर्शन किया और वैश्विक निवेशकों, प्रौद्योगिकी अग्रणियों और व्यवसायों के साथ जुड़े, सीमा पार सहयोग को मजबूत किया तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों का विस्तार किया।

अनुबंध-II

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3746 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत पांच वर्षों के दौरान 80% पेटेंट आवेदन शुल्क रियायत प्राप्त करने वाले ऐसे स्टार्टअप जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है, की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार वाले लाभार्थी स्टार्टअप्स की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	~1
2.	आंध्र प्रदेश	~34
3.	असम	~13
4.	बिहार	~19
5.	चंडीगढ़	~12
6.	छत्तीसगढ़	~9
7.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	~1
8.	दिल्ली	~118
9.	गोवा	~6
10.	गुजरात	~68
11.	हरियाणा	~70
12.	हिमाचल प्रदेश	~6
13.	जम्मू और कश्मीर	~3
14.	झारखंड	~12
15.	कर्नाटक	~274
16.	केरल	~51
17.	मध्य प्रदेश	~36
18.	महाराष्ट्र	~316
19.	मणिपुर	~2
20.	नागालैंड	~1
21.	ओडिशा	~40
22.	पुदुच्चेरी	~3
23.	पंजाब	~16

24.	राजस्थान	~25
25.	तमिलनाडु	~160
26.	तेलंगाना	~121
27.	उत्तर प्रदेश	~129
28.	उत्तराखंड	~15
29.	पश्चिम बंगाल	~35
